छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

क्रमांक 821 /नि.स./स./स्वा./2020 नवा रायपुर दिनांक:24 /08 /2020

प्रति,

कलेक्टर
जिला - समस्त
छत्तीसगढ़

विषयः कोविड-19 के लक्षणरहित मरीजों को होम आईसोलेशन की अनुमति के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 के लक्षण रहित मरीजों को होम आईसोलेशन में उपचार एवं प्रबंधन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गए थे एवं सभी जिलों को एक निर्धारित संख्या में होम-आईसोलेशन की अनुमति प्रदाय किये जाने हेतु निर्देश दिये गए थे।

2/ उपरोक्तानुसार होम आईसोलेशन प्रदाय करने हेतु जिलों से प्राप्त सहमति के आधार पर कोविड-19 के लक्षण रहित एवं होम आईसोलेशन हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरुप 'पात्र' मरीजो को जिला स्तर पर होम आईसोलेशन की अनुमति प्रदाय की जा सकेगी।

3/ जिलों द्वारा कोविड-19 के लक्षण रहित एवं होम आईसोलेशन हेतु पात्र मरीजों को होम आईसोलेशन की अनुमति प्रदाय करने हेतु संख्या-सीमा की बाधा नही होगी ।

4/ होम आईसोलेशन की अनुमति प्रदाय करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

अतः उपरोक्तानुसार आपके जिले अंतर्गत कोविड-19 के लक्षण रहित मरीजों को होम आईसोलेशन प्रदाय करने हेतु जारी निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें ।

(निहारिका बारिक सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक 822 /नि.स./स./स्वा./2020 नवा रायपुर दिनांक:24 /08/2020

प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
6. संचालक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
7. कलेक्टर, जिला - समस्त, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
24/8/2020

Scanned with CamScanner